Letter. Copies of this publication are sent regularly to the Parliament Library.

(c) Foreign Collaborations are approved in the following cases:—

(1) in sophisticated and high priority areas,

(2) in export-oriented and import substitution manufacture,

(3) for enabling indigenous industry to update existing technology, to meet efficiently the domestic requirements and/or to become competitive in the export market.

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

481. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 1981-82 और जनवरी, 1983 तक के वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि जो क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ है उसने इन प्रोत्साहनों का उतना ही कम लाभ उठाया है ;

(ग) पांच प्रकार के प्रोत्साहनों में से किस-किस प्रकार के प्रोत्साहन का अधिक उपयोग हुआ ;

(घ) उक्त वर्षों के दौरान इस तरह की सभी सुविधाओं पर कितना खर्च आया और क्या उनसे हुए लाभों का मूल्यांकन किया गया ;

(ङ) पिछड़े घोषित किये गये 247 जिलों में से कितने जिलों को ऊपर उठाया गया है तथा उसके क्या परिणाम रहे ;

(च) जनता को इस सभी सुविधाओं की जानकारी देने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ; और

(छ) इस दिशा में बिहार के मुंगेर जिला में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (छ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार केन्द्रीय निवेश राज सहायता, परिवहन राज सहायता, रियायती वित्त, करों में रियायत, लघु उद्योगों को किराया खरीद के आधार पर मशीनें, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राज सहायता और कच्चा माल आयात करने के लिए विशेष सुविधाओं जैसे प्रोत्साहन देती है।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के उद्यमियों को दी गई राज सहायता के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 1980-81, 1981-82 और जनवरी, 1983 तक की अवधि में क्रमश: 30·55 करोड़, 20 करोड़ और 28.23 करोड़ रुपये की राशियों की प्रतिपूर्ति की गई ?

केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना तथा परिवहन राजसहायता योजना दोनों को ही राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने भी इन योजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं में सम्मिलित किया है।

बिहार का मुंगेर जिला पहले ही औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया जा चुका है और यह

सावधिक ऋणदायी संस्थाओं से रियायती वित्त की सुविधाएं पाने का हकदार है। 1980-82 की अवधि में, मुंगेर जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए दो आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

लघु उद्योगों का विकास

482. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक देश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं किये हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित जिला उद्योग केन्द्र अपने कार्य तथा लघु उद्योगों के विकास कार्य में असफल रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन राज्यों में लघु उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सरकार ने देश के कुल 413 जिलों में से 408 जिलों को शामिल करने के लिये 395 जिला उद्योग केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की है। चार महानगर पालिका वाले शहर अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली इस कार्यक्रम के क्षेत्राधिकार बाहर से हैं तथा संघशासित प्रशासन लक्षद्वीप को अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। महाराष्ट्र में नये बनाये गये जिलों के लिये स्वीकृत दो जिला उद्योग केन्द्र 1 अप्रैल, 1983 से प्रभावी हो जायेंगे।

(ख) उपलब्ध प्रगति रिपोर्टों से जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई काफी प्रगति का पता चलता है। 1981-82 में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर देश के जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत क्रमशः 658, 420 और 981 एककों को सहायता दी गई थी।

(ग) इन राज्यों के पिछड़े जिलों को दिये गये रियायती वित्त, निवेश राजसहायता किराया-खरीद अवसर पर मशीनों का संभरण, आयकर में छुट जैसे विद्यमान केन्द्रीय प्रोत्साहनों के अलावा बिहार के 6 जिलों, मध्य प्रदेश के 4 जिलों, तथा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना करने के लिये मान्यता प्रदान की गयी है। "उद्योग रहित जिलों" के औद्योगिक लाइसेंसों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

अनुषंगी उद्योगों का विकास

483. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकास संगठन ने देश में अनुषंगी उद्योगों के विकास के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या लघु उद्योग विकास संगठन ने अन्य संस्थाओं से मिलकर भारी उद्योगों और अनुषंगी उद्योगों के लिये एक समिति बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(घ) उद्योग मंत्रालय ने बिहार के किन-किन उद्योगों के लिये समिति बनाई है और इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ;